

NEXT DATE OF HEARING: 23.06.2021

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO.04 OF 2013

IN THE MATTER OF:

SONYA GHOSH

PETITIONER

VS


STATE OF HARYANA & ORS.

RESPONDENTS

INDEX

S. No.	Particulars	Page No./Additional Page No.
1	Affidavit in compliance of order dated 23.10.2018 on behalf of the State of Rajasthan.	1-4
2	<u>ANNEXURE R-1</u> Detail of the land Tehsil wise as per Revenue department.	5
3	<u>ANNEXURE R-2</u> Copy of letter dated 28.12.2020 issued by ADM Alwar.	6
4	<u>ANNEXURE R-3</u> Copy of the letters dated 28.12.2020 & 21.12.2020.	7-8
5	<u>ANNEXURE R-4</u> Copy of the letter dated 14.12.2020	9-10

Filed By:

  
(PADHMALAKSHMI IYENGAR)

Additional Advocate General

Govt. of Rajasthan

Executive office No.4

Bikaner House New Delhi

Email: [padhmalakshmi.iyengar@gmail.com](mailto:padhmalakshmi.iyengar@gmail.com)

Mob. 7021322188

1

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
**ORIGINAL APPLICATION NO.04 OF 2013**

**IN THE MATTER OF:**

SONYA GHOSH

PETITIONER

VS


STATE OF HARYANA & ORS.

RESPONDENTS

**AFFIDAVIT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.10.2018**  
**ON BEHALF OF THE STATE OF RAJASTHAN**

I, Apoorva Krishna Srivastava S/o Shri Krishna Kant Srivastava, aged 34 years, presently posted as Divisional Forest Officer, District Alwar, Rajasthan, do hereby solemnly affirm as under:-

1. That I am the Officer-in-Charge on behalf of the above-named respondent and well versed with the facts of the case and competent to file and swear this affidavit in the above-mentioned Original Application.
2. It is submitted that the present OA was listed on 23.10.2018 before this Hon'ble Tribunal. On the said date the Hon'ble Tribunal has directed to furnish a report in respect to the identification of forest land. In compliance with order of this Tribunal dated 23.10.2018, District Level Committees were constituted to classify the forest areas incorporated under Aravali Notification dated 07.05.1992.



3. That in compliance with the Hon'ble Tribunal Order work of the committee commenced from December 7, 2020, as per the directions of Govt. of Rajasthan and under the chairmanship of Chief Forest Conservator Jaipur.
4. The details of land recorded in Revenue department under Aravalli Notification dated 07.05.1992 are as under;

Sr. No.	Nature Of Land	Hector Area
1	Gair Mumkin Pahar	44702.26
2	Gair mumkin Rada	7374.03
3	Gair Mumkin Behad	6265.705
4	Banjad Seed	407.87
5	Rundh	158.77
	Total	58908.635

Detail of the land Tehsil wise as per Revenue department is enclosed as **Annexure-R-1**

5. With regard to above mention land, earlier there were 724 proceedings of encroachment was registered and encroached area was 599.02 Hector. At Present as per information, vide letter dated 28.12.2020 only one proceeding under section 91 of Rajasthan Land Revenue Act is pending out of 724 cases. Copy of letter dated 28.12.2020 issued by ADM Alwar is annexed as **Annexure R-2**
6. The Forest land recorded in Alwar Forest Division under Aravalli Notification dated 07.05.1992 are as under:



Sr. No.	Nature of land	Hector Area
1	Gair Mumkin Pahar	45859.72
2	Gair mumkin Rada	419.63
3	Gair Mumkin Behad	901.381
4	Banjad Seed	6.13
5	Rundh	19483.32
6	Other Forest Land	5503.91
	Total	72174.091

7. That with regard above mentioned forest land, total of 310 (225 +85) case are pending before learned Court till 15.12.2020 and the encroached area is 39.0811 (9.8353 +29.2458) Hector. Copy of the letters dated 28.12.2020 &21.12.2020 is annexed and marked as **Annexure R-3**
8. The Forest land recorded in Sariska Tiger Reserve under Aravalli Notification dated 07.05.1992 are as under:

Sr. No.	Nature of Land	Hector Area
1	Gair Mumkin Pahar	46304.97
2	Gair mumkin Rada	929.46
3	Gair Mumkin Behad	795.77
4	Banjad Seed	-
5	Banjad Charaagh	670.87
6	Rundh	56530.85
7	Other Forest Land	978.78
	Total	106210.89

9. With regard to above mentioned land till November 2020, 44 proceedings subjected to section 91 of Rajasthan Land Revenue Act are pending. Copy of the letter dated 14.12.2020 is annexed as **Annexure R-4.**



10. That it is submitted that as mentioned in the above para the respondent has identified the land under Aravalli Notification dated 07.05.1992 in compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal.

श्रीवास्तव  
DEPONENT  
अलवर (राज.)

*Padhame Laxmi*  
I identify the deponent who has signed/put T.I. in my presence

**VERIFICATION:**

I, the above-named deponent, do hereby verify that the contents of the above Affidavit from paras 1 to 10 are true and correct to my knowledge based on the records. Nothing false has been stated therein and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at New Delhi on this 21<sup>st</sup> June, 2021.

श्रीवास्तव  
DEPONENT  
अलवर (राज.)



**ATTESTED**  
*[Signature]*  
Notary Public, Govt. of India, Delhi  
21.06.2021

Ann-R-1  
अति-आवश्यक

# कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांक - प0 12-1( )विधि/राज/17/ 5541

दिनांक- 15.9.14

उप वन संरक्षक,  
अलवर।

Legal  
15/9/14

विषय - ओ.ए. संख्या 4/2013 इन एन ए संख्या 737/2013 सोन्या घोष बनाम स्टेट हरियाणा एवं अन्य।  
संदर्भ - आपका पत्र दिनांक 04.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि संदर्भित पत्र द्वारा अरायली अधिसूचना 7 मई 198 अंकित 5 प्रकार की भूमि क्रमशः 1. गैर मुमकिन पहाड 2. गैर मुमकिन राडा 3. गैर मुमकिन बीहड 4. यंजड 5. रुध के सबंध में सूचना चाही गई थी। जिस सबंध में तहसीलदारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रकार प्रेषित है -


क्र.सं.	तहसील	गैर मुमकिन पहाड (रकबा है० में)	गैर मुमकिन राडा (रकबा है० में)	गैर मुमकिन बीहड (रकबा है० में)	यंजड बीहड (रकबा है० में)	रुध (रकबा है० में)
1	अलवर	6420.03	12.99	0	0	0
2	राजगढ	3876.52	1853.7	0	0.96	0
3	राजगढ	6536.71	5.5	571.37	5.13	0
4	लक्ष्मणगढ	230.57	8.40	2.32	0	0
5	धानागाजी	11544.69	4338.47	1160.88	297.54	0
6	रेणौ	2656.87	2.27	177.19	57.37	138.50
7	किशनगढबास	1627.17	1067.65	20.55	38.89	19.80
8	तिजारा	445.8	23.11	4046.405		
9	पहराड	871.29	0	0	0	0
10	वानसूर	3948.25	9.67	64.84	0	0
11	मुण्डावर	1595.23	38.11	207.04	7.98	0.44
12	नीमराना	2053	0	0	0	0
13	कदमर	89.7	0.74	0	0	0
14	कोटकारिम	136.68	0.92	15.11	0	0
15	मालाखडा	2669.75	12.50	0	0	0
16	गाविन्दगढ	0	0	0	0	0
	कुल रकबा	44702.26	7374.03	6265.705	407.87	158.77

संलग्न - हास जमाकन्दी।

जिला कलक्टर  
अलवर

Contact: 0144-2337565(O), 2336101 (F) E-mail: dm-alw-rj@nic.in

स्वच्छ अलवर-स्वस्थ अलवर  
D. Work Sheet Letter No. 001



(राजस्थान सरकार)

Ann-R-2

6

कार्यालय जिला कलेक्टर, अलवर जिला अलवर (राज0)

क्रमांक -प0 12-10(विधि)राज0/17/5042

दिनांक-28/12/2020

उप वन संरक्षक,  
अलवर।

विषय-ओ०ए०संख्या 04/2019 इन एम०ए०संख्या 737/2013 सोन्या घोष बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य।

संदर्भ-आपका पत्रांक एफ.10(17)2013/विधि/उवस/4244 दि० 22.12.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में मान० एन० जी०टी० प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली पारित आदेशों की पालना में अरावली अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के तहत आने वाली राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के जिले में कुल प्रकरण एवं अतिक्रमित क्षेत्र बाबत अंतिम शपथ पत्र प्रस्तुत करने के सम्बंध में इस कार्यालय द्वारा के पत्र क्रमांक प.12-10(विधि)राज/17/6601 दिनांक 01.11.2017 से प्रेषित रिपोर्ट अनुसार अलवर जिले की कुल 16 तहसीलों में अतिक्रमण के दर्ज कुल 724 प्रकरणों को सम्बंधित तहसीलदारान द्वारा निर्णय पारित किया गया है अथवा नही के सम्बंध में सूचना भिजवाने हेतु लिखा है।

उक्त सम्बंध में जिले के तहसीलदारान से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार अरावली अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के तहत आने वाली राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का एक प्रकरण रकबा 1.85है० तहसील क्षेत्र नीमराना में विचाराधीन है एवं उक्त प्रकरण में मान० न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से स्थगन आदेश पारित है। जिले की अन्य किसी तहसील क्षेत्र में उक्त अधिसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:-

दि० 01.11.17 को बकाया प्रकरणों का विवरण				वर्तमान स्थिति
क्र०सं०	तहसील	दर्ज प्रकरण	रकबा (है०)	
01	अलवर	0	0	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
02	राजगढ	426	479.20	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
03	रामगढ	09	3.12	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
04	लक्ष्मणगढ	0	0	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
05	थानागाजी	125	71.56	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
06	रेणी	121	22.90	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
07	किशनगढबास	07	5.58	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
08	तिजारा	18	13.63	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
09	बहरोड	15	0.36	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
10	बानसूर	0	0	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
11	मुण्डावर	02	1.00	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
12	नीमराना	01	1.85	प्रकरण में मान० न्यायालय राजस्व मण्डल राज० अजमेर में अपील विचाराधीन है।
13	कदूमर	0	00	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
14	कोटकासिम	0	0	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
15	गोविन्दगढ	0	0	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
16	मालाखेडा	0	0	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
17	नारायणपुर	0	0	कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रथम) एवं  
प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ  
कलेक्ट्रेट अलवर

5054  
29-12-20

Annexure-3 7

# कार्यालय सहायक वन संरक्षक, अलवर

क्रमांक : एफ 11 ( )/एल0आर0ए0-91/सवस अल0/2020/707

दिनांक : 25-12-2020

न्यायशास्त्र  
25/12/20

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
अलवर।

5096

29-12-20

विषय:- ओ0ए0 सं0 04/2013 इन एम0ए0 नं0 737/2013 सोन्या घोष बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एफ 10 (17)2013/विधि/उवस/11496-97 दिनांक 08.12.2020 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 361 दिनांक 06.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 15.12.2020 की स्थिति अनुसार कुल 225 एल0आर0 प्रकरण जिसमें 9.8353 हे0 वन भूमि अतिक्रमित है, बकाया है, जिनमें सुनवाई प्रक्रियाधीन हैं।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
(गिराज प्रसाद मंगल)  
सहायक वन संरक्षक,  
अलवर

# कार्यालय सहायक वन संरक्षक, राजगढ

क्रमांक : 435  
21/11/2020  
निमित्त:

दिनांक :

श्रीमान् उप वन संरक्षक, 4999  
अलवर। 2212-20

विषय:- ओ0ए0 सं0 04/2013 इन एम0ए0 नं0 737/2013 सोन्या घोष बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एवं अन्य।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक एफ 10 (17)2013/विधि/उवस/11496-97 दिनांक 08.12.2020 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 547 दिनांक 28.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के संदर्भित पत्र द्वारा 30 सितम्बर 2017 के पश्चात की स्थिति अनुसार इस कार्यालय के अधीन बकाया 83 प्रकरण एल0आर0ए0 प्रकरण जिसमें 22.2391 है0 भूमि अतिक्रमित थी, दिनांक 15.12.2020 तक निर्णित कर निस्तारित कर दिये गये हैं।

माह सितम्बर 2017 के पश्चात 50.55875 है0 वन भूमि के अतिक्रमण के 168 नये एल0आर0 प्रकरण इस कार्यालय के अधीन दर्ज हुए हैं। इनमें से 83 प्रकरण जिनमें 21.31295 है0 वन भूमि अतिक्रमित थी, दिनांक 15.12.2020 तक निर्णय कर निस्तारित कर दिये गये हैं। दिनांक 15.12.2020 की स्थिति अनुसार 85 एल0आर0 प्रकरण जिसमें 29.2458 है0 वन भूमि अतिक्रमित है, बकाया है, जिनमें सुनवाई प्रक्रियाधीन है।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(राजीव लोचन पाटक)  
सहायक वन संरक्षक,  
राजगढ

Answer R-4 9

**कार्यालय उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का**

क्रमांक एक ( ) राउटे / बाघासा / 2020-21 / 11365

दिनांक 14.12.2020

लिखित प्रमाण  
24/12/20

उप वन संरक्षक  
अलवर।

विषय—ओ.ए. नम्बर 4/2013 इन एम.ए. नम्बर 737/13 सोन्या घोष बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एव अन्य।

सन्दर्भ—आपका कार्यालय पत्र क्रमांक 11318-23 दिनांक 01.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरभित पत्र के क्रम में सूचना विन्दुवार निम्नानुसार है—  
सरिस्का टाईगर रिजर्व अधीन अरावली अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के अनुसार वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	रूध का एरिया	बिहड़	बीड बंजड	बंजड/ चारागाह	पहाड	राडा	अन्य भूमि	कुल योग
1	56530.85	795.77	-	670.87	46304.97	929.46	978.97	106210.89

नोट — सरिस्का टाईगर रिजर्व अधीन उक्त वर्गित भूमि से 13 वनखण्डों का एरिया उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर के अधीन स्थानान्तरित होने के कारण उनके क्षेत्राधिकार में है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :- (उक्त क्षेत्र ऊपर अंकित सारणी में अंकित क्षेत्र में शामिल है)

क्र.सं.	रूध का एरिया	बिहड़	बीड बंजड	बंजड/ चारागाह	पहाड	राडा	अन्य भूमि	कुल योग
1	5488.5	-	-	138.09	2882.39	245.16	112.2	8866.34

वर्तमान में कार्यालय उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का अधीन अरावली अधिसूचना दिनांक 07.05.1992 के अनुसार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	रूध का एरिया	बिहड़	बीड बंजड	बंजड/ चारागाह	पहाड	राडा	अन्य भूमि	कुल योग
1	51042.35	795.77	-	532.78	43422.58	684.3	866.77	97344.55

अरावली अधिसूचना 07.05.1992 के अन्तर्गत गैर मुमकिन पहाड/गैर मुमकिन राडा/गैर मुमकिन बिहड़/बंजड बीड/रूधआदि किस्म आती है।

1. अतिग्रमण के संबंध में 34ए एवं एलआरए-91 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सलग्न प्रेषित है।

सलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुदर्शन शर्मा)

उप वन संरक्षक

बाघ परियोजना सरिस्का

5085

25-12-20

10.

क्रमांक एक( )सर्वे/बापस/2020-21/11386-67  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक- 14.11.2020

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा, अरण्या भवन, राजस्थान, जयपुर।
2. अति० जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर।

*(सुदर्शन शर्मा)*  
( सुदर्शन शर्मा )  
उप वन संरक्षक  
वाघ परियोजना सरिस्का

## कार्यालय उप वन संरक्षक बाघ परियोजना, सरिस्का

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा एलआरए-91 के अर्न्तगत दर्ज प्रकरणों की सूचना माह नवम्बर 2020

क्र. स.	नाम वन मण्डल	प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल			निर्णित प्रकरण संख्या	क्षेत्रफल			शेष प्रकरण	क्षेत्रफल		
			RF	PF	योग		RF	PF	योग		RF	PF	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	उप वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का	44	1.5811	8.5658	10.1469	0	0	0	0	44	1.5811	8.5658	10.1469

नोट :- रेंज अजबगढ उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर के नियन्त्रणाधीन होने के कारण प्रकरण सम्मिलित नहीं किये गये है।

  
 उप वन संरक्षक  
 बाघ परियोजना सरिस्का